डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 मार्च 2004—चैत्र 9, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2004

क्र. 1747-102-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 26 मार्च 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २००४.

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४.

विषय—सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

२. परिभाषाएं.

३. पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति.

४. गौवंश के वध का प्रतिषेध.

५. गौ-मांस रखने पर प्रतिषेध.

६. वध के लिये गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध.

७. संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण.

८. प्रभारों का उद्ग्रहण.

९. शास्ति.

१०. अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.

११. प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति.

१२. पुनर्वास.

१३. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१४. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे.

१५. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

१६. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

१७. नियम बनाने की शक्ति.

१८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २००४.

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४.

[दिनांक २६ मार्च, २००४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २९ मार्च, २००४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

जनसाधारण के हित में और साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने, गौवंशीय वध का प्रतिषेध करने के लिये और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) "गौ-मांस" से अभिप्रेत है गौवंश जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है, का मांस;

(ख) "गौवंश" से अभिप्रेत है गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिये इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(घ) "संस्था" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन गौवंश को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिये या अशक्त, बूढ़े और रोगी गौवंश को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिये स्थापित की गई रजिस्ट्रीकृत कोई पूर्त संस्था;

(ङ) "वध" से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें ऐसा अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है, जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए;

(च) "पशु चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(छ) "यान" से अभिप्रेत है भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गए यांत्रिकी या हस्तचलित वाहन.

३. आयुक्त-सह-संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, आदेश में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिये पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा. पशु चिकित्सा अधिकारी को नियुक्ति.

गौवंश के वध का प्रतिषेध.

४. कोई भी व्यक्ति किसी गौवंश का न तो वध करेगा, न वध करवाएगा और न उन्हें वध के लिये देगा और न उन्हें वध के लिये दिलवाएगा.

गौ-मांस रखने पर प्रतिषेध.

५. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध किये गये किसी गौवंश के गौ-मांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा.

वध के लिये गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध.

६. कोई भी व्यक्ति किसी गौवंश का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसके वध के प्रयोजन के लिये या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को न तो परिवहन करेगा, न उसे परिवहन के लिये देगा और न उसका परिवहन कराएगा.

संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण.

७. राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये आवश्यक कदम उठायेगी, जो गौवंश के कल्याण में लगी हुई हैं.

प्रभारों का उद्ग्रहण.

८. संस्था का भारसाधक व्यक्ति, अशक्त, बूढ़े और रोगी गौवंश की देखभाल तथा भरण-पोषण के लिये उनके स्वामियों से ऐसे प्रभारों का उद्ग्रहण कर सकेगा जैसे कि विहित किए जाएं.

शास्ति.

९. जो कोई धारा ४, ५ एवं ६ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से, जो ३ वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.

१०. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे.

प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति.

११. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, प्रवेश करें तथा उनका निरीक्षण करें.

(२) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी ऐसे परिसर पर अधिभोग रखता हो, सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी या लिखित में सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश करने हेतु अनुज्ञात करेगा जैसा कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित करे, और यथास्थिति उस सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान अथवा विश्वास के अनुसार देगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम की धारा ६ के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये किसी यान को रोके या तलाशी ले.

(४) तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा १०० के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी तथा अभिग्रहण को लागू होंगे.

पुनर्वास.

१२. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति, यदि कोई हों, जो कि इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित हों, के आर्थिक पुनर्वास के लिये नियम बना सकेगी.

१३. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१४. समस्त सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हों, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे.

१५. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

१६. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों. कठिनाई दूर करने की शक्ति.

१७. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी जो उनके प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से प्रभावी होंगे जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए. नियम बनाने की शक्ति.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को उनके प्रकाशित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा.

१८. मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अध्यादेश, २००४ (क्रमांक १ सन् २००४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है: निरसन तथा व्यावृत्ति.

परन्तु यह निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

(एक) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन की गई या भुगती गई किसी बात; या

(दो) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के विरुद्ध किए गये किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई भी शास्ति, जप्ती या दण्ड; या

(तीन) पूर्वोक्त प्रकार की किसी भी शास्ति, जप्ती या दण्ड के संबंध में कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, जप्ती या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ है.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2004

क्र. 1748-102-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 6 OF 2004.

THE MADHYA PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH ADHINIYAM, 2004.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Appointment of Veterinary Officer.
4. Prohibition of slaughter of cow progeny.
5. Prohibition on possession of beef.
6. Prohibition on transport of cow progeny for slaughter.
7. Strengthening of institutions.
8. Levy of charges.
9. Penalties.
10. Offences to be cognizable and non-bailable.
11. Power of entry and inspection.
12. Rehabilitation.
13. Protection of action taken in good faith.
14. Officers exercising powers under this Act deemed to be public servants.
15. Act to have overriding effect.
16. Power to remove difficulty.
17. Power to make rules.
18. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No.6 OF 2004.

THE MADHYA PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH ADHINIYAM, 2004.

[Received the assent of the Governor on the 26th March, 2004; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 29th March, 2004.]

An Act to provide, in the interest of the general public and to maintain communal harmony and peace, for prohibition of slaughter of cow progeny and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette."

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "beef" means flesh of cow progeny, whose slaughter is prohibited under this Act;

(b) "cow progeny" means cows, bulls, bullocks and calves of cows;

(c) "Competent Authority" means a person appointed by the State Government by notification to perform in any local area specified therein, the functions of a Competent Authority under this Act;

(d) "institution" means any charitable institution registered under any enactment for the time being in force, established for the purpose of keeping, breeding and maintaining cow progeny or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cow progeny;

(e) "slaughter" means killing by any method whatsoever and includes maiming or inflicting of physical injury which in the ordinary course will cause death;

(f) "Veterinary Officer" means a person appointed as a Veterinary Officer under Section 3;

(g) "vehicle" means any mechanically or manually driven conveyance used on land, water or air.

Appointment of Veterinary Officer.

3. The Commissioner-cum-Director of Veterinary Services, Madhya Pradesh, may, by a general or special order, appoint for the purpose of this Act, any person, or class of persons, to be the Veterinary Officer for a local area specified in the order.

Prohibition of slaughter of cow progeny.

4. No person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered, for slaughter of any cow progeny.

Prohibiton on possession of beef.

5. No person shall have in his possession beef of any cow progeny slaughtered in contravention of the provisions of this Act.

Prohibition on transport of cow progeny for slaughter.

6. No person shall transport or offer for transport or cause to be transported any cow progeny from any place within the State to any place outside the State, for the purpose of its slaughter in contravention of the provision of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be, so slaughtered.

Strengthening of institutions.

7. The State Government shall take necessary steps for strengthening of institutions which are engaged in welfare activities of cow progeny.

Levy of charges.

8. The person incharge of the institution may levy such charges as may be prescribed, for care and maintenance of infirm, aged and diseased cow progeny from their owners.

Penalties.

9. Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Section 4,5 and 6 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Offences to be cognizable and non-bailable.

10. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) all offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.

Power of entry and inspection.

11. (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act the Competent Authority or the Veterinary Officer or any person authorised by the Competent Authority or the Veterinary Officer in writing in this behalf, shall have power to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been, is being or is likely to be committed.

(2) Every person in occupation of any such premises as is specified in sub-section (1) shall allow the Competent Authority or the Veterinary Officer or any person authorised, by the Competent Authority in writing, such access to the premises as he may require for the aforesaid purpose and shall answer any question put to him by the Competent Authority, the Veterinary Officer or the person authorised, as the case may be, to the best of his knowledge and belief.

(3) The Competent Authority or the Veterinary Officer or any person authorised by the Competent Authority or the Veterinary Officer in writing, in this behalf, shall have power to stop and search any vehicle to ensure the compliance of Section 6 of this Act.

(4) The provisions of Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and Seizures under this section.

Rehabilitation.

12. The State Government shall, after coming into force of this Act, make rules for the economic rehabilitation of such person, if any, to be directly affected.

13. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder. **Protection of action taken in good faith.**

14. All Competent Authorities, Veterinary Officers and other persons exercising powers under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860). **Officers exercising powers under this Act deemed to be public servants.**

15. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act. **Act to have overriding effect.**

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. **Power to remove difficulty.**

17. (1) The State Government may by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act which shall have effect from the date of its publication or from such other date as may be specified in this behalf. **Power to make rules.**

(2) The rules made under this Act shall, as soon as possible after they are published be laid on the table of the Legislative Assembly.

18. The Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhyadesh, 2004 (No. 1 of 2004) is hereby repealed: **Repeal and saving.**

Provided that the repeal shall not effect—

(i) the previous operation of any law so repealed or anything done or suffered thereunder; or

(ii) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(iii) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and

any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.